



UPFZ040136992022

Criminal Misc. Cases/1733/2022

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय, अयोध्या

राम अवध बनाम राजकुमार यादव आदि।

परिवाद सं०- 1978/2023

थाना- इनायतनगर

जनपद-अयोध्या।

दिनांक-14.11.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक अनुपस्थित है। आवेदक द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक-05.08.2024 से लगातार अनुपस्थित है। आवेदक द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को परिवाद में अब कोई रुचि शेष नहीं है तथा परिवाद पर बल नहीं देना चाहता है। अतः परिवाद में आगे कार्यवाही करने के लिए इस स्तर पर कोई पर्याप्त आधार नहीं होना प्रतीत होता है। प्रस्तुत परिवाद सं०- 1978/2023 न्यायहित में धारा- 203 Crpc के अन्तर्गत निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद, परिवाद सं०- 1978/2023 आवेदक की अनुपस्थिति धारा 203 Crpc के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(बलराम दास)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय,
अयोध्या।

